न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

198

प्र.क्रं. / 2014 पुनरीक्षण निशानी 4199-III-14

गंगेलाल सिंह पुत्र स्व. श्री ललन सिंह
निवासी ग्राम परसौरा तह. पाली जिला
उमरिया (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

1. सुशील कुमार अग्रवाल पुत्र सरजू प्रसाद निवासी बिरसिंहपुर पाली, विरासिनी मंदिर के पास तहसील पाली जिला उमरिया(म.प्र.)
2. म.प्र. शासन

..... आवेदकगण

न्यायालय कलेक्टर, जिला उमरिया द्वारा प्र.कं. 01/पुनर्विलोकन/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 14.11.14 के विरूद्ध म.प्र. भू.राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि, आवेदक गंगेलाल द्वारा ग्राम धौरई में स्थित आराजी ख.नं. 278 रकवा 1.092 हे. भूमि का विनिमय अनावेदक कं. 1 सुशील कुमार अग्रवाल की ग्राम बन्नौदा में स्थित भूमि ख. नं. 117 रकवा 1.247 हे. एवं ख.नं. 131 रकवा 1.030 हे. भूमि से विनिमय में प्राप्त करने हेतु दिनांक 11.11.09 को म. प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 167 के अंतर्गत कमलेक्टर उमरिया के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। जो प्र.क्रं. 491/अ–74/09–10 पर पंजीबद्ध किया गया ।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4199–III/2014 जिला– उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–01–2017	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर उमरिया के प्रकरण क्रमांक 01/पुनर्विलोकन/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2014 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक गंगेलाल ने अपने भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम धौरई स्थित भूमि सर्वे नं. 278 रकवा 1.092 है0 को अनावेदक सुशील कुमार अग्रवाल के भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम बन्नौदा स्थित भूमि सर्वे नं. 116 रकवा 1.214 है0 व 131 रकवा 1.030 है0 कुल रकवा 2.277 है0 भूमि से विनिमय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र संहिता की धारा 167 के अंतर्गत कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी से मौके की जांच प्रतिवेदन मंगाया। अनुविभागीय अधिकारी ने आवश्यक कार्यवाही के पश्चात जांच प्रतिवेदन दिनांक 24.12.09 को कलेक्टर को विनिमय की अनुशंसा सहित प्रेषित किया। कलेक्टर, उमरिया ने सम्पूर्ण मामले की विधिवत जांच की जाकर पुराने अभिलेखों को मंगाकर उनका अवलोकन कर अपने आदेश दिनांक 16.9.10 द्वारा गंगेलाल सिंह के भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम धौरई स्थित भूमि सर्वे नं. 278 रकवा 1.092 है0 से सुशील कुमार अग्रवाल के भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम बन्नौदा स्थित भूमि सर्वे नं. 116 रकवा 1.214 है0 व 131 रकवा 1.030 है0 कुल किता 2.277 है0	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अधिाकरी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 24.12.09 में विस्तृत लेख कर विनिमय की अनशंसा की गई थी। कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.9.10 द्वारा विनिमय की अनुमति आवेदक गंगेलाल को प्रदत्त की है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि पूर्व में आयुक्त शहडोल ने दिनांक 26.6.12 / 28.6.12 द्वारा प्रकरण इस निर्देश के साथ वापिस किया कि प्रकरण में भूमि के विनिमय के संबंध में पारित आदेश दिनांक 16.9.10 का संहिता की धारा 167 के प्रावधानों के अंतर्गत भी परीक्षण किया जाये। आयुक्त के आदेश के पालन में कलेक्टर द्वारा प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गयी और आवश्यक कार्यवाही के पश्चात आदेश दिनांक 16.9.10 मे कोई विसंगति या पुनर्विलोकन में लेने का आधार नहीं होने से अपने आदेश दिनांक 6.11.12 द्वारा प्रकरण समाप्त किया । उसके पश्चात तत्कालीन कमिश्नर शहडोल ने कलेक्टर को पुनः पुनर्विलोकन कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया उक्त कार्यवाही के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 2.9.13 द्वारा निगरानी स्वीकार कर कमिश्नर शहडोल व कलेक्टर द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाही समाप्त किये जाने एंव आदेश दिनांक 16.9.10 की पुष्टि की गई थी। इससे स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा स्वमेव पुनर्विलोकन में आदेश दिनांक 06.11.2012 पारित किये जाने से एवं इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 2.9.13 पारित किये जाने से कलेक्टर को पुनः पुनर्विलोकन में कार्यवही करने की अधिकारिता नहीं है क्योंकि पुनर्विलोकन के विरूद्ध पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता इसके अतिरिक्त इस न्यायालय द्वाराभी पुनर्विलोकन की कार्यवाही अवैध मानकर निरस्त की थी। ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा पूर्व में पारित आदेशों की अवलेहना करते हुये	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4199–11/2014 जिला– उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	02.9.2013 द्वारा पुनरीक्षण स्वीकार कर कमिश्नर शहडोल एवं कलेक्टर उमरिया द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाही समाप्त किये जाने के आदेश दिये गये। पुनः किसी गुमनाम व्यक्ति द्वारा कलेक्टर उमिरया को प्रकरण के संबंध में जानकारी देकर कार्यवाही प्रारंभ कराई उक्त जानकारी पर से कलेक्टर ने पूर्व के आदेशों को छिपाकर कलेक्टर उमिरया के पूर्व प्र.कं. 491/अ–74/09–10 में पारित आदेश दिनांक 16.9.10 को पुनर्विलोकन में लेकर सुनवाई करने हेतु राजस्व मण्डल से अनुमति मांगीगई राजस्व मण्डल ने हितबद्ध दोनों पक्षों को सुने बिना कलेक्टर द्वारा भेजे गये आवेदन पर सीधे अनुमति प्रदान कर दी । कलेक्टर उमरिया ने पुनः प्र.कं. 01/पुनर्विलोकन/14–15 दर्ज कर आदेश दिनांक 14.11.2014 द्वारा पूर्व के आदेश दिनांक 16.9.10 को निरस्त कर राजस्व अभिलेख में पूर्व की स्थिति कायम करने करने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है। 3– आवेदक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर उमरिया ने जिन आधारों का लेख करते हुये पूर्व पीठासीन अधिकारी कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.9.10 को पुनर्विलोकन में लेने हेतु सुनवाई करने बावत राजस्व मण्डल से अनुमत मांगी थी। जबकि उक्त आदेश दिनांक 16.9.10 को कमिश्नर शहडोल के पत्र दिनांक 26.6.12/28.6.12 के	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	निर्देशानुसार कलेक्टर के विनिमय के प्र.कं. 491/अ—74/09—10 में पारित आदेश दिनांक 16.9.10 को पुनर्विलोकन में लेकर प्र.कं. 02/पुर्न./2012—13 में कार्यवाही कर अपने आदेश दिनांक 6.11.12 द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 16.9.10 की पुष्टि की जा चुकी थी। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में यह भी बताया गया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.9.2010 एवं उक्त आदेश की पुष्टि आदेश दिनांक 6.11.12 द्वारा किये जाने के पश्चात कमिश्नर शहडोल ने पुनः प्र.कं. 02/पुर्न./12—13 को पुनर्विलोकन में लिये जाने का निर्देश दिया था कमिश्नर शहडोल की कार्यवाही के विरूद्व अनावेदक सुशील कुमार ने माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की थी जो प्र.कं. 482—II/13 पर दर्ज होकर जिसमें आवेदक गंगेलाल की सहमति होकर माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.09.13 द्वारा निगरानी स्वीकार कर आदेश दिनांक 16.9.10 को उचित व वैध मानकर यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया था। उक्त आदेश को किसी भी पक्ष ने वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दी इस प्रकार उक्त आदेश अंतिम हो गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में यह भी बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ने पूर्व में पारित आदेशों के तथ्यों को छिपाकर एकपक्षीय अनुमति मांगकर प्र.कं. 491/अ—74/09—10 में तीसरी बार पुनर्विलोकन में सुनवाई कर आदेश दिनांक 14.11.2014 पारित करने में त्रुटि की है। अतः ऐसी स्थिति में कलेक्टर उमरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.14 निरस्त किये जाने का निवेदन किया । 4— अनावेदक कं. 1 के अभिभाषक द्वारा आवेदक के अभिभाषक के तर्कों से सहमत व्यक्त करते हुये निगरानी	

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4199–III/2014 जिला– उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	स्वीकार करने का अनुरोध किया। 5– अनावेदक कं. 2 शासन के अभिभाषक का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ने विधिवत अनुमत लेकर उभयपक्षों की सुनवाई कर विधिसंगत आदेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः उन्होने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया। 6– उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्याालयों के आदेशों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि आवेदक गंगेलाल सिंह गौड द्वारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम धौरई स्थित भूमि सर्वे नं. 278 रकवा 1.092 है0 को अनावेदक सुशील कुमार के भूमिस्वामी स्वत्व की ग्राम बन्नौदा स्थित भूमि सर्वे नं. 116 रकवा 1.214 है0 व 131 रकवा 1.030 है0 कुल रकवा 2.277 है0 भूमि से विमिय की अनुमति हेतु आवेदक गंगेलाल ने आवेदन पत्र संहिता की धारा 167 के अंतर्गत कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी से मौके की जांच प्रतिवेदन मंगाया अनुविभागीय अधिकारी ने पटवारी हल्का धौरई एवं पटवारी हल्का बन्नोदा के प्रतिवेदन प्राप्त किये दोनों हल्का पटवारी ने प्रतिवेदन के साथ मौका पंचनामा, नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया । पटवारी हल्का धौरई द्वारा प्रस्तुत पंचनामे में प्रश्नाधीन भूमि गंगेलाल की निजी आराजी होना एवं वर्तमान में पड़ती होने का लेख किया गया है। अनुविभागीय	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	भूमि से विनिमय की अनुमति इस शर्त के अधीन संहिता की धारा 167 के तहत प्रदत्त की कि भूमि के अलावा सुशील कुमार अग्रवाल द्वारा गंगेलाल सिंह (कलेक्टर के समक्ष क्रमंशः अनावेदक तथा आवेदक) को रू. 4,70,000/– (चार लाख सत्तर हजार रूपये) जरिये चैक भुगतान कर विनिमय पत्र का पंजीयन कराया जायेगा। विनिमय पत्र संपादित होने के पश्चात किसी गुमनाम व्यक्ति द्वारा अपने निहित स्वार्थ के कारण कमिश्नर शहडोल के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की। उक्त शिकायत पर से कमिश्नर द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.6.12/28.6.12 द्वारा कलेक्टर उमरिया को निर्देश दिये कि विनिमय के प्र.कं. 491/अ–74/ 09–10 गंगेलाल विरूद्ध सुशील कुमार के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 16.9.10 को पुनः परीक्षण स्वमेव पुनरीक्षण किया जावे। कलेक्टर उमरिया ने मामले की पुनः विधिवत जांच की उनके समक्ष दोनों पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन किया तत्पश्चात कलेक्टर उमरिया ने प्र. कं. 02/पुनर्विलोकन/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 6.11.12 पारित कर पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.9.10 में किसी प्रकार की विसंगति प्रकट नहीं हो रही है इस आधार पर पुनर्विलोकन कार्यवाही निरस्त की जाकर प्रकरण रिकार्ड दाखिल किया गया । जिसकी सूचना दिनांक 12.11.2012 को कमिश्नर शहडोल को भेजी गई थी। कमिश्नर शहडोल ने आवेदक, अनावेदक दोनों पक्ष को सुने बिना कलेक्टर उमरिया को पुनः पुनर्विलोकन कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया। कमिश्नर शहडोल द्वारा पुनः पुनर्विलोकन करने के आदेश के विरूद्ध अनावेदक सुशील कुमार ने माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया था जो प्र.कं. 482–II/13 पुनरीक्षण पर पंजीबद्ध होकर आदेश दिनांक	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4199–III/2014 जिला– उमरिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कानून की घोर उपेक्षा कर जो आदेश पारित किया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर उमरिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2014 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं प्र. कं. 491/अ–74/09–10 में पारित आदेश दिनांक 16.9.10 यथावत रखा जाता है। तहसीलदार पाली को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम धौरई स्थित भूमि सर्वे नं. 278 रकवा 1.092 है0 भूमि पर आवेदक गंगेलाल के स्थान पर अनावेदक सुशील कुमार अग्रवाल का नाम एवं ग्राम बन्नौदा स्थित भूमि सर्वे नं. 116 रकवा 1.214 है0 व 131 रकवा 1.030 है0 कुल रकवा 2.277 है0 भूमि पर सुशील कुमार अग्रवाल के स्थान पर गंगेलाल का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करें। सदस्य	